राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर– 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : www.rsmssb.rajasthan.gov.in Tel. : 0141-2722520

क्रमांकः प.8(105)RSSB / प.आ. / लि.ग्रे–II / क.स. / संयुक्त भर्ती / 2024 / 664 दिनांकः 07/01/2025

–::विज्ञप्ति::–

लिपिक ग्रेड-II / कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के फेज-II ''हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण''

बोर्ड द्वारा लिपिक ग्रेड-II / कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024, विज्ञापन संख्या 06 / 2024 क्रमांक 2145 दिनांक 13.02.2024 द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी। यह परीक्षा दिनांक 11.08.2024 को आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा के **फेज द्वितीय–कम्प्यूटर आधारित ''हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण'' का आयोजन दिनांक 21, 22, 23, 24 जनवरी 2025 को प्रतिदिन 02 पारियों, प्रातः 10.00 बजे से मध्यान्ह् 12.00 बजे (प्रथम पारी) एवं अपरान्ह् 03.00 बजे से सायं 05.00 बजे (द्वितीय पारी) में किया जावेगा। टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर दिनांकः 12.12.2024 को उपलब्ध करवा दिये गये है।** अभ्यर्थी इनका अध्ययन अवश्य कर लें।

अभ्यर्थियों के लिये निर्देश–

1. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उक्तानुसार कार्यक्रम के अंतर्गत टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण का आयोजन जयपुर शहर में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर किया जावेगा।
2. अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रो पर बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जायेगा।
3. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु स्वयं का की–बोर्ड साथ लाना वर्जित है।
4. अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई–प्रवेश पत्र, मूल फोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जावेगी। विशेष परिस्थिति में ही पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, मतदाता पहचान–पत्र मे से कोई एक से मिलान किया जावेगा। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है। पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो एवं पारदर्शी नीली स्याही बॉल पेन साथ लेकर आयें। इनके अलावा अन्य कोई सामग्री परीक्षा केन्द्र पर साथ लेकर नहीं आयें।
5. अभ्यर्थी अपना प्रोविजनल ई–प्रवेश पत्र **बोर्ड की वेबसाइट** www.rsmssb.rajasthan.gov.in **अथवा** www.rssb.rajasthan.gov.in **अथवा स्वयं की SSO ID** से डाउनलोड कर सकेंगें जिसके संबंध में विस्तृत सूचना यथाशीघ्र अलग से दी जायेगी।
6. मॉक टेस्ट ट्रायल हेतु लिंक बोर्ड की वेबसाईट पर यथासमय पृथक से उपलब्ध करवाये जायेंगे।

परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे / बहकावे में नहीं आवें तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न Social Media पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें।

चेतावनी– ''परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनो का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों (अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) मे संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरूद्व, राज0 सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनो की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड रूपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन करावास तक की सजा के प्रावधान है'', जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जावेगा।

नवीनतम एवं अद्यतन जानकारी के लिये अभ्यर्थी बोर्ड की बेवसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in **एवं** www.rssb.rajasthan.gov.in **का अवलोकन करते रहें।**

भवदीय,

03.1.25

(डॉ0 बी. सी. [illegible])

सचिव